प्रेषक, **महत्वपूर्ण / समयबद्ध**

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. **अपर निदेशक,**
   एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. **विभागाध्यक्ष, सीमैट उत्तराखण्ड, देहरादून।**
3. **अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।**
4. **सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।**
5. **समस्त प्राचार्य, डायट उत्तराखण्ड।**
6. **समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।**

पत्रांक / सेवा–2 / 25242-49 / **पेंशन–विकल्प** / 2023–24 दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषयः– **01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित प्रवक्ता / सहायक अध्यापक (एल0टी0) संवर्ग के अध्यापक / अध्यापिकाओं से पुरानी पेंशन से आच्छादित होने सम्बन्धी विकल्प प्राप्त करने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, वित (पेंशन) अनुभाग–10, देहरादून की ई–पत्रावली संख्या–27057 / 2023 दिनांक 07 नवम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनाक 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति से चयनित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में विभागों से श्रेणीवार ''***case to case-basis***'' पर परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट सूचना निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त पत्र एवं पत्र के साथ संलग्न प्रारूप इस आशय से प्रेषित कि ऐसे शिक्षक जो 01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व जारी विज्ञप्ति से चयनित हुए हैं एवं पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होना चाहते हैं, से उक्त शासनादेशानुसार विकल्प पत्र प्राप्त कर लिया जाय एवं शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ''***case to case-basis***'' पर परीक्षण (यथा हस्ताक्षर मिलान / कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं मोहर सहित) करते हुए अपने अधिष्ठान में कार्यरत सम्बन्धित शिक्षकों की स्पष्ट सूचना संकलित कर वाहक के माध्यम से हार्ड एवं साफ्ट कॉपी (Pen Drive) में दिनांक 15 जनवरी, 2024 तक प्रवक्ता संवर्ग की निदेशालय माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को एवं सहायक अध्यापक (एल0टी0) संवर्ग की सूचना सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय
29/11/23

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0 : सेवा–2 / 25242-49 / **पेंशन–विकल्प** / 2023–24 दिनांक– उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मण्डलीय अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल को इस आशय के साथ प्रेषित कि सहायक अध्यापक (एल0टी0) की संकलित सूचना पर अपने स्तर से उक्तांकित शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
2. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त से सम्बन्धित स्पष्ट सूचना दिनांक 10 जनवरी, 2024 तक संकलित कर मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें (**द्वारा सम्बन्धित मु0शि0अ0**)।

(सीमा जौनसारी)
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या-27057/2023
देहरादूनः दिनांक- नवम्बर, 2023

अधिसूचना

उत्तराखण्ड राज्य में वेतन एवं पेंशन की समता (Parity) भारत सरकार से होने के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय (Department of Economic Affairs) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-5/7/2003-ECB&PR, दिनांक-22 दिसम्बर, 2003 के क्रम में वित्त (सामान्य नियम-वेतन आयोग) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-21/xxvii(7) अं0पे0यो0/2005, दिनांक-25 अक्टूबर, 2005 के द्वारा राज्य में दिनांक-01 अक्टूबर, 2005 से नई पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। इसी क्रम में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-57/05/2021-P&PW(B), दिनांक-03 मार्च, 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखण्ड राज्य में भी समग्र रूप से (in toto) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

02. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-57/05/2021-P&PW(B), दिनांक-03 मार्च, 2023 के द्वारा "ऐसे सभी मामलों में जहाँ केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना की तारीख अर्थात दिनांक-22 दिसम्बर, 2003 से पूर्व, विज्ञापित/अधिसूचित किया गया था और दिनांक-01 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत कवर किया गया है, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 (अब 2021) के अधीन कवर किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग सम्बन्धित सरकारी सेवक दिनांक-31 अगस्त, 2023 तक कर सकते है"।

03. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-57/05/2021-P&PW(B), दिनांक-03 मार्च, 2023" में उल्लिखित व्यवस्था के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य सरकार के सिविल कर्मचारी को उस पद या रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त किया गया है, जिसे भर्ती/नियुक्ति के लिए नवीन पेंशन योजना की दिनांक-01 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विज्ञापित/अधिसूचित किया गया है और दिनांक-01 अक्टूबर, 2005 को या उसके पश्चात् सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन आच्छादित किये जाने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाए। इस विकल्प का प्रयोग सम्बन्धित सरकारी सेवक दिनांक-15 फरवरी, 2024 तक अपने नियुक्ति प्राधिकारी/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर सकते है"।

04. ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो उपरोक्त प्रस्तर–03 के अनुसार विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं, परन्तु निर्धारित तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते है, वे नवीन पेंशन योजना द्वारा आच्छादित रहेंगे।

05. एक बार प्रयोग किया गया विकल्प, अंतिम होगा।

06. सरकारी कर्मचारी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के आधार पर, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) संशोधन रूल्स, 2005, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन आच्छादित करने से सम्बन्धित मामले को, इस निर्देश के अनुसार उस पद, जिसके लिए ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, के नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा। यदि सरकारी कर्मचारी, उक्त के अनुरूप कवर किये जाने के लिए शर्तो को पूरा करता है, तो इन निर्देशों के अनुसार, इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश निर्गत किये जायेंगे। फलस्वरूप, ऐसे सरकारी सेवकों का एन0पी0एस0 खाता आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से बंद कर दिया जायेगा।

07. ऐसे सरकारी कर्मचारी जो उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स (उत्तरांचल) संशोधन रूल्स, 2005, उत्तराखण्ड सेवानिवृत्तिक लाभ अधिनियम, 2018 एवं उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2022 के अधीन पेंशन योजना में अंतरण करने के विकल्प का प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) की सदस्यता लेनी होगी।

(i) **खातों में कर्मचारियों के अशंदान का समायोजनः** नई पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में से कर्मचारी अशंदान को सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जी0पी0एफ0) खाते में जमा किया जायेगा। इस धनराशि पर आज की तारीख तक के ब्याज को अनुज्ञात करते हुए खाते का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा।

(ii) **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में सरकारी अशंदान का समायोजन :** इसी प्रकार नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड की कुल धनराशि में से सरकारी अशंदान को राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

(iii) नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी एवं राज्य सरकार के अशंदान से निर्मित पेंशन फंड को निवेश करने पर जो भी वर्धित मूल्य (increased value of subscription on account of **appreciation** on investments) प्राप्त हो, उसे राज्य सरकार के खाते में जमा किया जायेगा।

08. उक्त व्यवस्था की लेखांकन प्रक्रिया (accounting procedure) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी द्वारा महालेखाकार, (A&E) उत्तराखण्ड के परामर्श से उचित समय पर वर्णित की जायेगी।

09. राज्य के समस्त राजकीय विभागों से अनुरोध है कि इन आदेशों का अनिवार्य रूप

से व्यापक प्रचार करते हुए उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक–03 मार्च, 2023 के समस्त प्राविधानों को अपने–अपने सरकारी विभाग में यथावत लागू करें। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा "case to case-basis" पर परीक्षण करते हुए विभागवार निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी को उपलब्ध कराया जायेगा। तदोपरान्त निदेशालय कोषागार द्वारा प्रति परीक्षण कर सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर सम्बन्धित कार्मिक के विकल्प के आधार पर निर्णय लेते हुए आदेश निर्गत किये जायेंगे।

Signed by Anand Bardhan
Date: 07-11-2023 13:14:49
(आनन्द वर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–27057(1)/2023, तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मुख्य निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद्) विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
17. बजट अधिकारी, साईबर कोषागार, देहरादून।
18. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Amita Joshi
Date: 07-11-2023 16:40:45
(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

वेतनमान

विभाग का नाम

विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम

विज्ञप्ति तिथि

विभाग में नियुक्ति तिथि

विभाग में योगदान तिथि

सेवानिवृत्ति की तिथि

मैं...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री...पुरानी पेंशन योजना ( )/नवीन पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम ....

घोषणा पत्र

मैं...पदनाम...यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 09 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है।

हस्ताक्षर

नाम.................................

पदनाम ....

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती ....पदनाम...को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना ( )/नई पेंशन योजना ( ) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान1की जाती है।

Generated from eOffice by ANAND BARDHAN, ACS-Finance-AB, ADDITIONAL CHIEF SECRETARY , Finance Department or

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति